न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास—दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या — 112 / 2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), डेगाना		भागूराम पुत्र मंगाराम के कायम मुकामान— 1. तिलोकराम पुत्र भागूराम 2. सायरी पुत्री भागूराम (फौत) 3. गीता पुत्री भागूराम भाम्बी (फौत) साकिन कितलसर के कायम मुकामान— 3 / 1 सम्पत पुत्र हीराराम 3 / 2 नेमाराम पुत्र हीराराम 3 / 3 जितेन्द्र पुत्र हीराराम मेघवाल निवासी डाबोलीमिठी तहसील डेगाना जिला नागौर 3 / 4 मुन्नी पुत्री हीराराम सा0 देह हाल निवासी फिरोजपुरा ग्राम पंचायत बरनेल तहसील जायल

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक : 25-11-19

प्रार्थी तहसीलदार खींवसर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा की प्रकरण में प्रार्थी की ओर से बहस सुनी गई। राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा कितलसर का खसरा नम्बर 177 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी भागु पुत्र मंगा जाति भाम्बी निवासी कितलसर को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 17 ग्राम कितलसर भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। जो नामान्तरकरण की प्रति से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को उक्त भूमि वर्ष 22.06.67 में आवंटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू—भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालना नहीं किया जो खसरा गिरदावरी संवत् 2029 से 2036 व 2065—2068 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि काबिल काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि कब्जा नहीं के रूप में है, जो पटवारी हल्का कितलसर की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया है, जिसके कारण अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत् निरस्त योग्य होने का कथन करते हुए अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त फरमावें।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। जमाबन्दी ग्राम कितलसर तहसील डेगाना संवत 2025 से 2028 व संवत 2061 से 2064 में खसरा नम्बर 177 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में अप्रार्थी भागूराम पुत्र मंगाराम कौम भाम्बी सा.देह

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। खसरा गिरदावरी ग्राम कितलसर खसरा नम्बर 177 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा संवत् 2029 से 2036 के अनुसार उक्त खसरा में काश्त दर्ज नहीं है। पटवारी कितलसर ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 12.11.11 में उक्त खसरा 177 रकबा 8.10 बीघा में अप्रार्थी भागूराम का कब्जा नहीं है तथा न ही कभी काश्त की गई है, का उल्लेख किया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला आवेदन स्वीकार किया जाता है। ग्राम कितलसर में अप्रार्थी भागू पुत्र मंगा (फौत) जाति भाम्बी साकिन कितलसर के नाम पर खसरा नम्बर 177 रकबा 8बीघा 10 बिस्वा कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार डेगाना को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर सरकारी तहवील में लिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार डेगाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 17:03:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: